4/22/24, 10:28 AM Action History

ACTION HISTORY OF RTI FIRST APPEAL No.NBRIL/A/E/23/00016

Applicant Name

A.N.SHARGA

Dr. P.A.Shirke, Chief Scientist and First Appellate Authority, CSIR-NBRI Lucknow-226001 01. The reply furnished by Shri Dheeraj Pathak Jan Suchna Adhikari(RTI-Prashasan)is misleading and in violation of the Hon'ble Supreme Court order dated 17.03.2015 in SLP(C)No.36148/2013 making the enhanced revised pension fixed as per recommendation of the 6th CPC amounting to Rs 24,295/- per month w.e.f. 24.09.2012 vide P.P.O. No. 635/NBRI/2005 dated 17.05.2013, admissible w.e.f. 01.01.2006 notified vide C.S.I.R. Circular No-5-1(17)/2008-PD dated 27.08.2015 and DoP&PW O.M.No. 38/37/08 P&PW(A) dated 30.07.2015 for compliance. Moreover, the same thing has been mentioned clearly in the paragraph at S.No.4 of the O.M.No 38/37/08-P&PW (A) dated 06th April, 2016 quoted by the respondent. The arrears amounting to RS 1,91,190/- paid to me has been miscalculated @ Rs 23,150/- per month instead of RS 24,295/- per month not in accordance with the P.P.O. No.635/NBRI/2005 dated 05/10/2015 issued to me by the competent authority of CSIR-NBRI, Lucknow following the Hon'ble Supreme Court order dated 17.03.2015. 02. There is a need for Shri Dheeraj Pathak, Jan Suchna Adhikari(RTI-Prashasan)cum Section Officer(General), CSIR-NBRI, Lucknow to go through the records in order to have clarity about the issue involved to resolve the same at the earliest. Therefore, in the light of above-mentioned facts please provide me the correct information about the rule applied by the concerned official/authority, which was a clear violation of the Hon'ble Supreme Court order and is a contempt of SC, to fix the revised pension at Rs 23,150/- per month which I sought in query No.01 in original RTI. A.N.Sharga Former Scientist-4(5) CSIR-NBRI, Lucknow

Text of Appeal

Reply of Appeal

In the light of the Appeal No NBRIL/A/E/23/00016 dated 08-04- 2023 submitted by Dr. A.N. Sharga, the following is submitted by the information custodian: 1. As per 6th CPC, the Pay Band/ Pay Scale and Grade Pay of Scientist-4 (5) is Rs. 37400-67000 (GP-8900). Therefore, as per 6th CPC, minimum pension of Scientist -4(5) is Rs.23150/- i.e. 50% of the minimum of the Pay Band/Pay Scale+ Grade Pay [(50% of (Rs.37400+Rs.8900) = Rs.46300/-]. Hence, as per point no 6 of OM No 38/37/08-P&PW(A) dated 06-04-2016 issued by Department of Pension & Pensioners' Welfare, Ministry of Personal, PG & Pensions, Government of India and duly endorsed by CSIR on 24-05-2016, the pension of Dr. A. N. Sharga, Former Scientist has been fixed and accordingly arrear has been paid. The copy of revised Pension Order is enclosed herewith for information. 2. In his appeal dated 08-04-2023 stated that: "There is a need for Shri Dheeraj Pathak, Jan Suchna Adhikari (RTI-Prashsan) cum Section Officer (General), CSIR-NBRI, Lucknow to go through the records in order to have clarity about the issue involved to resolve the same at the earliest." In this context, this is submitted that as of now all the information provided to the applicant as per records available in the section. Further, Section 2(f) of RTI Act 2005 clearly stipulates that: "Information" means any material in any form, including records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information related to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force. In the light of above provisions of RTI Act, information is being provided. As per order passed by Hon'ble SC on RTI Act 2005 in CIVIL Appeal No 6454 of 2011, arising out of SLP [C] no 7526/2009 in case of CBSE vs Aditya Bandhopadhyay and others: "A Public authority is not required to furnish information which require drawing of interference and/or making of assumptions. It is also not required to provide 'advice' or 'opinion' to an Applicant. The reference to 'opinion' or 'advice' in the definition of 'information' in Section 2(f) of the Act, only refers to such material available in the records of the

Print

4/22/24, 10:28 AM Action History

Public Authority." The appellant was also advised by CPIO (Admin) to visit the officer on any working day to inspect and clarify the issue as per Section 2(j) of RTI Act 2005. But the appellant never turned up. Filing of multiple RTI/Appeals/complaints on CPGRAM portal by the appellant is unnecessary and wasting the time and resources of the institute. Hence, again Section 2(j) of RTI Act 2005, the appellant is again requested to visit the office on any working day to inspect the documents, if not satisfied by the reply of this appeal. This will enable us to timely resolve the issue. Hence the appeal has been disposed of

SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	FIRST APPEAL RECEIVED	08/04/2023		
2	APPEAL FORWARDED TO CONCERNED FIRST APPELLATE AUTHORITY	08/04/2023	Nodal Officer	Online
3	APPEAL DISPOSED OF	01/05/2023	FAA - P A Shirke Chief Scientist	

4/22/24, 10:29 AM Action History

ACTION HISTORY OF RTI FIRST APPEAL No.NBRIL/A/E/23/00017

Applicant Name A.N.SHARGA

Text of Appeal

Reply of Appeal

Sir, The statement provided by the respondent in reply to my RTI is in reference to the P.P.O. No. 635/NBRI/2005 dated 17.02.2023 and not in reference to the P.P.O. No 635/NBRI/2005 dated 05.10.2015 asked for the period from 01.01.2006 to 23.09.2013 in respect of arrears of revised pension paid as per recommendation of 6th CPC @Rs 23,191/- per month issued by the previous competent authority of CSIR-NBRI, Lucknow following the issuance of P.P.O. No. 635/NBRI/2005 dated 05.10.2015. The statement provided for the period w.e.f. 01.01.2006 to 31.12.2015 for the payment of arrears made @ Rs 23,150/- per month is not as per query made. Kindly, be specific for the period rather than unnecessarily providing information for the period which is not sought in RTI. Kindly, accept my appeal and provide me the information sought in the original RTI as per P.PO. No 635/NBRI/2005 dated 05.10.2015 for the period mentioned

in RTI application. Thanks Dr.A.N.Sharga

The information against the Appeal No.NBRIL/A/E/23/00017 dated 19.05.2023 as provided by the concerned CPIO is attached. Hence,

the appeal has been disposed of

SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	FIRST APPEAL RECEIVED	19/05/2023		
2	APPEAL FORWARDED TO CONCERNED FIRST APPELLATE AUTHORITY	21/05/2023	Nodal Officer	Online
3	APPEAL DISPOSED OF	12/06/2023	FAA - P A Shirke Chief Scientist	
			Print	

4/22/24, 10:29 AM Action History

ACTION HISTORY OF RTI FIRST APPEAL No.NBRIL/A/E/23/00018

Applicant Name

GAGAN SHARGA

Ref:CSIRH/R/E/23/00122 dated 26.04.2023 Sir, I would like to clarify that I requested the following information from CSIR in context of my representation dated 13.03.2023 to Ms Anita Singh, Deputy Secretary: 01.Please provide me the progress on the issue raised in the application/representation submitted online such as name(s) of the official(s) alongwith the designation who were involved in or handled my application/representation. This will include the notings and comments of the officers concerned. CSIR forwarded my request for further information to CSIR-NBRI. Your remark in the reply to RTI NBRIL/R/X/23/00021 dated 26.04.2023 states:" आरटीआई में उल्लेखित representation दिनांक 13.03.2023 Ms Anita Singh, Deputy Secretary को ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित की गयी थी।अतः मांगी गयी सूचना शून्य है।" I would like to clarify that मांगी गयी सूचना शून्य नहीं है। That is why CSIR has given the update on the progress made on representation. 02.In the last paragraph of representation to Ms Anita Singh, it is clearly mentioned that I asked for a detailed reply from CSIR-NBRI as to whether the current grievance number PMOPG/E/2023/0043701 has been addressed in totality?. 03. Moreover, CSIR had forwarded my representation to The Director, CSIR-NBRI alongwith the directives on point 4,5 &6 in the CSIR letter to CSIR-NBRI(copy enclosed) asking to comment parawise on the representation and provide a copy to applicant which is clearly written in the letter and I am yet to receive it. In this context, please provide me the progress on the representation including noting, remark etc. RTI Act nowhere states that one needs a mutual consent or prior approval from concerned authority to obtain noting, remark etc. Please, provide me whatever progress made in the context of representation and the directives of CSIR mentioned in the letter are complied with. Kindly accept my appeal and provide me information.

Text of Appeal

Reply of Appeal

The information against the Appeal No.NBRIL/A/E/23/00018 dated 19.05.2023 as provided by the concerned CPIO is attached. Hence, the appeal has been disposed of.

SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	FIRST APPEAL RECEIVED	19/05/2023		
2	APPEAL FORWARDED TO CONCERNED FIRST APPELLATE AUTHORITY	21/05/2023	Nodal Officer	Online
3	APPEAL DISPOSED OF	12/06/2023	FAA - P A Shirke Chief Scientist	
			Print	

Thanks. Gagan

4/22/24, 10:29 AM Action History

ACTION HISTORY OF RTI FIRST APPEAL No.NBRIL/A/E/23/00019

Applicant Name	ANURAG SUPREME
Text of Appeal	THE INFORMATION OF TOTAL STIPEND PAID IN QUESTION 2ND WAS ASKED TILL 01/05/2023. SINCE AS MENTIONED BY YOU THE PROJECT ENDED ON 31.03.2023 IS SMT. AKANKSHA RAI NOT ASSOCIATED WITH ANY OTHER PROJECT IN NBRI AFTER 31.03.2023? IS SMT. AKANKSHA RAI NOT GETTING ANY REMUNERATION/STIPEND FROM ANY PROJECT IN NBRI AFTER 31.03.2023?
Reply of Appeal	With reference to RTI Appeal No. NBRIL/A/E/23/00019 dated 12.06.2023, the CPIO (Admin), CSIR-NBRI, Lucknow has already provided the requested information to the appellant vide letter no. NBRIL/R/E/23/00013 dated 16.05.2023. The copy of the reply is again attached herewith for your reference. The information sought by the appellant in the appeal is additional information and it has not been asked in the concern RTI Application. If appellant wants any additional information, it is advised that please file fresh RTI application for the same. Hence, the appeal has been disposed of.

SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	FIRST APPEAL RECEIVED	12/06/2023		
2	APPEAL FORWARDED TO CONCERNED FIRST APPELLATE AUTHORITY	13/06/2023	Nodal Officer	Online
3	APPEAL DISPOSED OF	23/06/2023	FAA - P A Shirke Chief Scientist	
			Print	

4/22/24, 11:20 AM **Action History**

Reply of Appeal

ACTION HISTORY OF RTI FIRST APPEAL No.NBRIL/A/E/23/00020

Applicant Name	A.N.SHARGA
Text of Appeal	Sir, I request you to kindly read the detailed information sought in my original RTI application and provide me the same. The information supplied by the concerned official in response to my RTI application is not what I requested. Please provide me the information asked in the original RTI application. I request you to kindly accept my appeal and provide me the information requested in the RTI application at the earliest convenience. Thanks. Regards A.N.Sharga
	Reply of Appeal No. NBRIL/A/E/23/00020 dated 20.06.2023. It is informed that as per the records available with the information custodian, No arrear (@Rs. 23191/-) has been paid to Dr. AN Sharga from 01.01.2006 to 23.09.2013. Whereas, an amount of Rs.

1,91,190/- (@Rs.23, 150/-) pertaining to the period 01.01.2006 to 31.12.2015 on 17.02.2023 and Rs. 2,08,92.00 (@Rs.24, 295/-) pertaining to the period 01.01.2006 to 31.12.2015 on 08.06.2023 has been paid to the Dr. AN Sharga by the institute. (Copy Attached). It is also advised that appellant may visit the Pension Cell of the institute to clear any queries regarding the pension revision. Filing of multiple RTI regarding the above issue would waste the precious time of the

institute. Hence, the appeal is being disposed of.

SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	FIRST APPEAL RECEIVED	20/06/2023		
2	APPEAL FORWARDED TO CONCERNED FIRST APPELLATE AUTHORITY	21/06/2023	Nodal Officer	Online
3	APPEAL DISPOSED OF	06/07/2023	FAA - P A Shirke Chief Scientist	
			Print	

4/22/24, 11:20 AM Action History

ACTION HISTORY OF RTI FIRST APPEAL No.NBRIL/A/E/23/00021

Applicant Name	Priya
Text of Appeal	Respected First appellate authority, The PIO has refused to provide information on the grounds of a fiduciary relationship. In this regard, I want to inform you that I have applied for the post of scientist against the advertisement quoted. So I request you to provide the information regarding same.
Reply of Appeal	Kindly refer to the terms & Conditions of Advt. No. 02/2020 and 03/2021 which clearly stipulates that "NO INTERIM ENQUIRY or CORRESPONDENCE WILL BE ENTERTAINED'. In addition to above it is further stated that at present the information sought by the applicant is held under fiduciary capacity, therefore, the information is exempted under section 8 (1) (e) of RTI Act. 2005.

SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	FIRST APPEAL RECEIVED	29/09/2023		
2	APPEAL FORWARDED TO CONCERNED FIRST APPELLATE AUTHORITY	02/10/2023	Nodal Officer	Online
3	APPEAL DISPOSED OF	01/11/2023	FAA - P A Shirke Chief Scientist	
			Print	





डॉ.पी ए शिर्के

मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी

(आर.टी.आई. एक्ट 2005)

फ़ोन नं: 0522-2297928; ई-मेल: pashirke@nbri.res.in

दिनांक: 23.06.2023

सं: सीएसआईआर-एनबीआरआई/आरटीआई/एफएए/ CSIRH/A/E/23/00034

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष (एफ.ए.ए.)

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत) सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ अपील संख्या - CSIRH/A/E/23/00034

पार्टीजः-

अपीलकर्ता	प्रतिवादी	
श्री अमित कुमार मीना, S/O श्री जहमोली लाल मीना	जन सूचना अधिकारी (प्रशासन), सीएसआईआर,	
सलौना गाँव, पोस्ट-खुन्तला, तहसील-गंगापुर सिटी	एनबीआरआई, लखनऊ 226001	
जिला-सवाई माधोपुर, राज. पिन-322224		
प्रथम अपीलीय अधिकारी		
डॉ. पी ए शिर्के, मुख्य वैज्ञानिक		

तथ्य:

श्री अमित कुमार मीना, S/O जहमोली लाल मीना, सलौना गाँव, पोस्ट-खुन्तला, तहसील-गंगापुर सिटी, जिला-सवाई माधोपुर, राज., पिन-322224 ने अपने मूल आर.टी.आई. आवेदन NBRIL/R/X/23/00019 दिनांक 20.03.2023 (सीएसआईआर मुख्यालय से संस्थान को स्थानांतिरत सन्दर्भ सं. CSIRH/R/E/23/00103) के संदर्भ में प्रथम अपील संख्या CSIRH/A/E/23/00034 दिनांक 22.05.2023 (संस्थान में प्राप्ति तिथि: 12.06.2023) सीएसआईआर-एनबीआरआई, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया हैं |

अपील के आधार:

अपीलकर्ता ने प्रस्तुत अपील में मूल आर.टी.आई. आवेदन NBRIL/R/X/23/00019 दिनांक 20.03.2023 (सीएसआईआर मुख्यालय से संस्थान को स्थानांतरित सन्दर्भ सं. CSIRH/R/E/23/00103) के सन्दर्भ में अपीलकर्ता द्वारा 2 बिन्दुओं में सूचना मांगी गयी हैं |

<u>तथ्यः</u>

अपीलकर्ता ने मूल आर.टी.आई. आवेदन NBRIL/R/X/23/00019 दिनांक 20.03.2023 (सीएसआईआर मुख्यालय से संस्थान को स्थानांतिरत सन्दर्भ सं. CSIRH/R/E/23/00103) के द्वारा आरटीआई हेतु आवेदन किया था | अपीलकर्ता के उपरोक्त आर.टी.आई. आवेदन के अनुक्रम में इस संस्थान के जन सूचना अधिकारी (प्रशासन), सीएसआईआर, एनबीआरआई, लखनऊ 226001 ने दिनांक 27.03.2023 को पत्न सं. एनबीआरआईएल/आर/एक्स/23/00019 के द्वारा निर्धारित समय अवधि में उत्तर दिया गया था | (प्रति संलग्न है)

अपीलकर्ता द्वारा मूल आर.टी.आई. आवेदन NBRIL/R/X/23/00019 दिनांक 20.03.2023 (सीएसआईआर मुख्यालय से संस्थान को स्थानांतिरत सन्दर्भ सं. CSIRH/R/E/23/00103) के संबंध में प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या CSIRH/A/E/23/00034 दिनांक 22.05.2023 (संस्थान में प्राप्ति तिथि: 12.06.2023) का निर्णय निम्न लिखित हैं |

बिदु सं. 1 एवं 2:

One year full time professional qualification मांगकर्ता प्रभाग/वैज्ञानिक द्वारा उल्लिखित किये गए प्रासंगिक अनुसंधान क्षेत्र के आधार पर निश्चित की जाती है |

अतः प्रथम अपील उपरोक्त निर्णय के आधार पर तद्बसार निस्तारित की जाती है।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट न हों, तो 90 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है । द्वितीय अपीलीय अधिकारी से सम्पर्क करने हेतु नाम एवं पता निम्न प्रकार है:-

Central Information Commission, Room No. 326, 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066

स्थानः- लखनऊ

दिनांक: 23 जून, 2023

प्रका ने हिंग के (पी ए शिकें) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

सीएसआईआर-एनबीआरआई, लखनऊ

सेवा में,

श्री अमित कुमार मीना, S/O जहमोली लाल मीना, सलौना गाँव, पोस्ट-खुन्तला, तहसील-गंगापुर सिटी

जिला-सवाई माधोपुर, राज., पिन-322224

प्रति:

- 1. जन सूचना अधिकारी (प्रशासन), सीएसआईआर, एनबीआरआई, लखनऊ 226001
- 2. डॉ. एस. साथियानारायणनन, प्रथम अपीलीय अधिकारी, एवं प्रभागाध्यक्ष, सीपीडी, सीएसआईआर मुख्यालय, नई दिल्ली-110001





डॉ.पी ए शिर्के

मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी

(आर.टी.आई. एक्ट 2005)

फ़ोन नं: 0522-2297928; ई-मेल: pashirke@nbri.res.in

दिनांक: 23.06.2023

सं: सीएसआईआर-एनबीआरआई/आरटीआई/एफएए/ CSIRH/A/E/23/00034

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष (एफ.ए.ए.)

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत) सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ अपील संख्या - CSIRH/A/E/23/00034

पार्टीजः-

अपीलकर्ता	प्रतिवादी	
श्री अमित कुमार मीना, S/O श्री जहमोली लाल मीना	जन सूचना अधिकारी (प्रशासन), सीएसआईआर,	
सलौना गाँव, पोस्ट-खुन्तला, तहसील-गंगापुर सिटी	एनबीआरआई, लखनऊ 226001	
जिला-सवाई माधोपुर, राज. पिन-322224		
प्रथम अपीलीय अधिकारी		
डॉ. पी ए शिर्के, मुख्य वैज्ञानिक		

तथ्य:

श्री अमित कुमार मीना, S/O जहमोली लाल मीना, सलौना गाँव, पोस्ट-खुन्तला, तहसील-गंगापुर सिटी, जिला-सवाई माधोपुर, राज., पिन-322224 ने अपने मूल आर.टी.आई. आवेदन NBRIL/R/X/23/00019 दिनांक 20.03.2023 (सीएसआईआर मुख्यालय से संस्थान को स्थानांतिरत सन्दर्भ सं. CSIRH/R/E/23/00103) के संदर्भ में प्रथम अपील संख्या CSIRH/A/E/23/00034 दिनांक 22.05.2023 (संस्थान में प्राप्ति तिथि: 12.06.2023) सीएसआईआर-एनबीआरआई, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया हैं |

अपील के आधार:

अपीलकर्ता ने प्रस्तुत अपील में मूल आर.टी.आई. आवेदन NBRIL/R/X/23/00019 दिनांक 20.03.2023 (सीएसआईआर मुख्यालय से संस्थान को स्थानांतरित सन्दर्भ सं. CSIRH/R/E/23/00103) के सन्दर्भ में अपीलकर्ता द्वारा 2 बिन्दुओं में सूचना मांगी गयी हैं |

<u>तथ्यः</u>

अपीलकर्ता ने मूल आर.टी.आई. आवेदन NBRIL/R/X/23/00019 दिनांक 20.03.2023 (सीएसआईआर मुख्यालय से संस्थान को स्थानांतिरत सन्दर्भ सं. CSIRH/R/E/23/00103) के द्वारा आरटीआई हेतु आवेदन किया था | अपीलकर्ता के उपरोक्त आर.टी.आई. आवेदन के अनुक्रम में इस संस्थान के जन सूचना अधिकारी (प्रशासन), सीएसआईआर, एनबीआरआई, लखनऊ 226001 ने दिनांक 27.03.2023 को पत्न सं. एनबीआरआईएल/आर/एक्स/23/00019 के द्वारा निर्धारित समय अवधि में उत्तर दिया गया था | (प्रति संलग्न है)

अपीलकर्ता द्वारा मूल आर.टी.आई. आवेदन NBRIL/R/X/23/00019 दिनांक 20.03.2023 (सीएसआईआर मुख्यालय से संस्थान को स्थानांतिरत सन्दर्भ सं. CSIRH/R/E/23/00103) के संबंध में प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या CSIRH/A/E/23/00034 दिनांक 22.05.2023 (संस्थान में प्राप्ति तिथि: 12.06.2023) का निर्णय निम्न लिखित हैं |

बिदु सं. 1 एवं 2:

One year full time professional qualification मांगकर्ता प्रभाग/वैज्ञानिक द्वारा उल्लिखित किये गए प्रासंगिक अनुसंधान क्षेत्र के आधार पर निश्चित की जाती है |

अतः प्रथम अपील उपरोक्त निर्णय के आधार पर तद्बसार निस्तारित की जाती है।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट न हों, तो 90 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है । द्वितीय अपीलीय अधिकारी से सम्पर्क करने हेतु नाम एवं पता निम्न प्रकार है:-

Central Information Commission, Room No. 326, 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066

स्थानः- लखनऊ

दिनांक: 23 जून, 2023

प्रका ने हिंग के (पी ए शिकें) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

सीएसआईआर-एनबीआरआई, लखनऊ

सेवा में,

श्री अमित कुमार मीना, S/O जहमोली लाल मीना, सलौना गाँव, पोस्ट-खुन्तला, तहसील-गंगापुर सिटी

जिला-सवाई माधोपुर, राज., पिन-322224

प्रति:

- 1. जन सूचना अधिकारी (प्रशासन), सीएसआईआर, एनबीआरआई, लखनऊ 226001
- 2. डॉ. एस. साथियानारायणनन, प्रथम अपीलीय अधिकारी, एवं प्रभागाध्यक्ष, सीपीडी, सीएसआईआर मुख्यालय, नई दिल्ली-110001





डॉ.पी ए शिर्के

मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी

(आर.टी.आई. एक्ट 2005)

फ़ोन नं: 0522-2297928; ई-मेल: pashirke@nbri.res.in

दिनांक: 03.04.2023

सं: सीएसआईआर-एनबीआरआई/आरटीआई/एफएए/2023-offline-01

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष (एफ.ए.ए.)

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत) सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ अपील संख्या -Offline 01/2023

पार्टीजः-

अपीलकर्ता	प्रतिवादी	
एडवोकेट ललिता बाजपेयी,	जन सूचना अधिकारी (प्रशासन), सीएसआईआर,	
ग्राम व पोस्ट बेती, लखनऊ	एनबीआरआई, लखनऊ 226001	
पिन-226005		
प्रथम अपीलीय अधिकारी		
डॉ. पी ए शिर्के		
मुख्य वैज्ञानिक		

तथ्य:

एडवोकेट लिलता बाजपेयी, ग्राम व पोस्ट बेती, लखनऊ पिन-226005 ने अपने मूल आर.टी.आई. आवेदन RTI/NBRI/287/164 दिनांक 06.02.2023 (संस्थान में प्राप्ति तिथि: 07.02.2023) के संदर्भ में प्रथम अपील संख्या NBRIL/A/23/ऑफलाइन/01 दिनांक 14.03.2023 (संस्थान में प्राप्ति तिथि: 17.03.2023) सीएसआईआर-एनबीआरआई, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया हैं |

अपील के आधार:

अपीलकर्ता ने प्रस्तुत अपील में मूल आर.टी.आई. RTI/NBRI/287/164 दिनांक 06.02.2023 (संस्थान में प्राप्ति तिथि: 07.02.2023) के सन्दर्भ में अपीलकर्ता द्वारा 4 बिन्दुओं में सूचना मांगी गयी हैं |

तथ्य:

अपीलकर्ता ने मूल आर.टी.आई सं. RTI/NBRI/287/164 दिनांक 06.02.2023 (संस्थान में प्राप्ति तिथि: 07.02.2023) के द्वारा आरटीआई हेतु आवेदन किया था | अपीलकर्ता के उपरोक्त आर.टी.आई. आवेदन के अनुक्रम में इस संस्थान के जन सूचना अधिकारी (प्रशासन), सीएसआईआर, एनबीआरआई, लखनऊ 226001 ने दिनांक 10.03.2023 को पत्न सं. RTI/NBRI/287/164 के द्वारा निर्धारित समय अविध (30 कार्यदिवस) में उत्तर दिया गया था |

अपीलकर्ता द्वारा मूल आर.टी.आई सं. RTI/NBRI/287/164 दिनांक 06.02.2023 (संस्थान में प्राप्ति तिथि: 07.02.2023) के संबंध में प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या NBRIL/A/23/ऑफलाइन/01 दिनांक 14.03.2023 (संस्थान में प्राप्ति तिथि: 17.03.2023) निर्णय निम्न लिखित हैं |

- संस्थान के जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में उत्तर दिया गया हैं |(प्रति संलग्न हैं)
- 2. संस्थान जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का पूर्णतया पालन करने पर प्रतिबद्ध हैं |
- 3. अपीलकर्ता द्वारा मांगी गयी सूचना की तिथि गलत हैं |
- 4. संस्थान के जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर की प्रति संलग्न हैं |

अतः प्रथम अपील उपरोक्त निर्णय के आधार पर तद्धसार निस्तारित की जाती है।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट न हों , तो 90 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है । द्वितीय अपीलीय अधिकारी से सम्पर्क करने हेतु नाम एवं पता निम्न प्रकार है:-

Central Information Commission, Room No. 326, 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066

स्थानः- लखनऊ

दिनांक: 03 अप्रैल जून, 2023

लखनऊ

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सीएसआईआर-एनबीआरआई,

सेवा में,

एडवोकेट ललिता बाजपेयी, ग्राम व पोस्ट बेती, लखनऊ पिन-226005

प्रति:





डॉ.पी ए शिर्के

मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी

(आर.टी.आई. एक्ट 2005)

फ़ोन नं: 0522-2297928; ई-मेल: pashirke@nbri.res.in

दिनांक: 13.04.2023

सं: सीएसआईआर-एनबीआरआई/आरटीआई/एफएए/2023-offline-02

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष (एफ.ए.ए.)

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत) सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ अपील संख्या -Offline_02/2023

पार्टीजः-

अपीलकर्ता	प्रतिवादी
श्री एस पी मौर्या, नौबस्ता, अमेठिया सलेमपुर, काकोरी	जन सूचना अधिकारी (प्रशासन), सीएसआईआर,
लखनऊ-227101	एनबीआरआई, लखनऊ 226001
प्रथम अपीलीय अधिकारी	
डॉ. पी ए शिर्के	
मुख्य वैज्ञानिक	

तथ्य:

श्री एस पी मौर्या, नौबस्ता, अमेठिया सलेमपुर, काकोरी लखनऊ-227101ने अपने मूल आर.टी.आई. आवेदन RTI/NBRI/265/143 दिनांक 27.12.2022 (संस्थान में प्राप्ति तिथि: 27.12.2022) के संदर्भ में प्रथम अपील संख्या NBRIL/A/23/ऑफलाइन/02 दिनांक 23.02.2023 (संस्थान में प्राप्ति तिथि: 23.02.2023) सीएसआईआर-एनबीआरआई, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया हैं |

अपील के आधार:

अपीलकर्ता ने प्रस्तुत अपील में मूल आर.टी.आई. RTI/NBRI/265/143 दिनांक 27.12.2022 (संस्थान में प्राप्ति तिथि: 27.12.2022) के सन्दर्भ में अपीलकर्ता ने उल्लेखित किया किया हैं कि जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना अपूर्ण हैं|

तथ्य:

अपीलकर्ता ने मूल आर.टी.आई सं. RTI/NBRI/265/143 दिनांक 27.12.2022 (संस्थान में प्राप्ति तिथि: 27.12.2022) के द्वारा आरटीआई हेतु आवेदन किया था | अपीलकर्ता के उपरोक्त आर.टी.आई. आवेदन के अनुक्रम में इस संस्थान के जन सूचना अधिकारी (प्रशासन), सीएसआईआर, एनबीआरआई, लखनऊ 226001 ने दिनांक 17.02.2023 को पत्न सं. RTI/NBRI/265/143 के द्वारा निर्धारित समय अवधि में उत्तर दिया गया था |

अपीलकर्ता द्वारा मूल आर.टी.आई सं. RTI/NBRI/265/143 दिनांक 27.12.2022 (संस्थान में प्राप्ति तिथि: 27.12.2022) के संबंध में प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या NBRIL/A/23/ऑफलाइन/02 दिनांक 23.02.2023 (संस्थान में प्राप्ति तिथि: 23.02.2023) के सन्दर्भ में संस्थान के विभिन्न सूचना संरक्षकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी बिदुवार सूचना निम्न लिखित हैं |

- 1. The disclosure of desired Information, would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for las enforcement or security purposes; is exempted under section 8 (g) of RTI Act 2005
- 2. संस्थान के जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्तर दिया चुका हैं |(प्रति संलग्न हैं)
- 3. अपीलकर्ता से अनुरोध है कि सूचना का संदर्भ स्पष्ट करे एवं सन्दर्भ स्पष्ट होने पर एवं सूचना उपलब्ध होने पर उक्त सूचना जन सूचना अधिकारी (प्रशासन), सीएसआईआर-एनबीआरआई, लखनऊ 226001 द्वारा अपीलकर्ता को उपलब्ध करा दी जाएगी
- 4. इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी हैं |

अतः प्रथम अपील उपरोक्त निर्णय के आधार पर तद्वसार निस्तारित की जाती है।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट न हों , तो 90 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है । द्वितीय अपीलीय अधिकारी से सम्पर्क करने हेतु नाम एवं पता निम्न प्रकार है:-

Central Information Commission, Room No. 326, 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066

स्थानः- लखनऊ

दिनांक: 13 अप्रैल, 2023

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सीएसआईआर-एनबीआरआई, लखनऊ

सेवा में,

श्री एस पी मौर्या, नौबस्ता, अमेठिया सलेमपुर, काकोरी लखनऊ-227101

प्रति:





डॉ.पी ए शिर्के

मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी

(आर.टी.आई. एक्ट 2005)

फ़ोन नं: 0522-2297928; ई-मेल: pashirke@nbri.res.in

दिनांक: 12.05.2023

सं: सीएसआईआर-एनबीआरआई/आरटीआई/एफएए/2023-offline-03

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष (एफ.ए.ए.)

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत) सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ अपील संख्या -Offline 03/2023

पार्टीजः-

अपीलकर्ता	प्रतिवादी
एडवोकेट ललिता बाजपेयी,	जन सूचना अधिकारी (प्रशासन), सीएसआईआर,
ग्राम व पोस्ट बेती, लखनऊ	एनबीआरआई, लखनऊ 226001
पिन-226005	
प्रथम अपीलीय अधिकारी	
डॉ. पी ए शिर्के	
मुख्य वैज्ञानिक	

तथ्य:

एडवोकेट लिलता बाजपेयी, ग्राम व पोस्ट बेती, लखनऊ पिन-226005 ने अपने मूल आर.टी.आई. आवेदनों RTI/NBRI/287/164 दिनांक 06.02.2023, एवं एनबीआरआईएल/आरटीआई/जेन/0003 दिनांक 03.03.2023 को संदर्भित करते हुए प्रथम अपील संख्या NBRIL/A/23/ऑफलाइन/03 दिनांक 18.04.2023 को सीएसआईआर-एनबीआरआई, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया हैं |

अपील के आधार:

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में मूल आर.टी.आई. आवेदनों RTI/NBRI/287/164 दिनांक 06.02.2023 एवं एनबीआरआईएल/आरटीआई/जेन/0003 दिनांक 03.03.2023 को संदर्भित करते हुए 6 बिन्दुओं में 4 बिन्दुओं में सूचना मांगी गयी हैं |

तथ्य:

अपीलकर्ता की मूल आर.टी.आई सं. RTI/NBRI/287/164 दिनांक 06.02.2023, एवं एनबीआरआईएल/आरटीआई/जेन/0003 दिनांक 03.03.2023 का निस्तारण इस संस्थान के जन सूचना अधिकारी (प्रशासन), सीएसआईआर, एनबीआरआई, लखनऊ 226001 द्वारा निर्धारित समय अवधि (30 कार्यदिवस) में कर दिया गया था |

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या NBRIL/A/23/ऑफलाइन/03 दिनांक 18.04.2023 निर्णय निम्न लिखित हैं |

- 1. संस्थान के जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में उत्तर दिया गया हैं |(प्रति संलग्न हैं)
- 2. संस्थान जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का पूर्णतया पालन करने पर प्रतिबद्ध हैं |
- 3. अपीलकर्ता द्वारा मांगी गयी सूचना में भविष्य की तिथि का उल्लेख किया गया हैं | हालाँकि दिनांक 27.07.2022 को श्री अतुल वर्मा द्वारा आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके साथ आवेदक द्वारा रु. 10/- की आरटीआई शुल्क नोट सं. 49 आर 222176 आवेदन के साथ चस्पा किया था, जिसके कारण श्री अतुल वर्मा के मूल आरटीआई आवेदन को पत्न सं. एनबीआरआईएल/22/ऑफलाइन/01 दिनांक 08.08.2022 को वापस कर दिया गया था | (प्रति संलग्न हैं)
- 4. संस्थान के जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर की प्रति संलग्न हैं |
- 5. एवं 6. 'The Information sought is kept in fudicary capacity and is related to personal information and the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual. Therefore, the information is exempted under section 8 (1) (j) of RTI Act-2005.'

अतः प्रथम अपील उपरोक्त निर्णय के आधार पर तद्भसार निस्तारित की जाती है।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट न हों , तो 90 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है । द्वितीय अपीलीय अधिकारी से सम्पर्क करने हेतु नाम एवं पता निम्न प्रकार है:-

Central Information Commission, Room No. 326, 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066

स्थानः- लखनऊ

दिनांक: 12 मई, 2023

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सीएसआईआर-एनबीआरआई, लखनऊ

सेवा में,

एडवोकेट ललिता बाजपेयी, ग्राम व पोस्ट बेती, लखनऊ पिन-226005

प्रति:





डॉ.पी ए शिर्के

मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी

(आर.टी.आई. एक्ट 2005)

फ़ोन नं: 0522-2297928; ई-मेल: pashirke@nbri.res.in

दिनांक: 22.08.2023

सं: सीएसआईआर-एनबीआरआई/आरटीआई/एफएए/2023-offline-04

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष (एफ.ए.ए.)

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत) सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ अपील संख्या -Offline_04/2023

पार्टीजः-

अपीलकर्ता	प्रतिवादी
श्री विपिन कुमार सिंह,	जन सूचना अधिकारी (प्रशासन), सीएसआईआर,
(एडवोकेट)	एनबीआरआई, लखनऊ 226001
कलेक्ट्रेट कचहरी, बार एसोसिएशन, लखनऊ	
226001	
प्रथम अपीलीय अधिकारी	
डॉ. पी ए शिर्के	
मुख्य वैज्ञानिक	

तथ्य:

श्री विपिन कुमार सिह, (एडवोकेट) कलेक्ट्रेट कचहरी, बार एसोसिएशन, लखनऊ 226001 ने अपने मूल आर.टी.आई. आवेदन एनबीआरआईएल/आर/पी/23/00003 दिनांक 15.06.2023, को संदर्भित करते हुए प्रथम अपील संख्या NBRIL/A/23/ऑफलाइन/04 दिनांक 12.07.2023 को सीएसआईआर-एनबीआरआई, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया हैं |

अपील के आधार:

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में मूल आर.टी.आई. आवेदन एनबीआरआईएल/आर/पी/23/00003 दिनांक 15.06.2023 को संदर्भित करते हुए 2 बिन्दुओं में सूचना मांगी गयी हैं |

तथ्य:

अपीलकर्ता की मूल आर.टी.आई सं. एनबीआरआईएल/आर/पी/23/00003 दिनांक 15.06.2023, का निस्तारण इस संस्थान के जन सूचना अधिकारी (प्रशासन), सीएसआईआर, एनबीआरआई, लखनऊ 226001 द्वारा निर्धारित समय अवधि (30 कार्यदिवस) में कर दिया गया था |

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या NBRIL/A/23/ऑफलाइन/04 दिनांक 12.07.2023 निर्णय निम्न लिखित हैं : आवदेक द्वारा प्रेषित आर टी आई में मांगी सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी थी। अन्य विवरण शिकायत के रूप में था, जो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है।

अतः प्रथम अपील उपरोक्त निर्णय के आधार पर तद्वसार निस्तारित की जाती है।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट न हों , तो 90 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है । द्वितीय अपीलीय अधिकारी से सम्पर्क करने हेतु नाम एवं पता निम्न प्रकार है:-

Central Information Commission, Room No. 326, 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066

(पी ए शिर्के)

स्थानः- लखनऊ

दिनांक: 22 अगस्त, 2023

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

सीएसआईआर-एनबीआरआई, लखनऊ

सेवा में,

श्री विपिन कुमार सिंह, (एडवोकेट), कलेक्ट्रेट कचहरी, बार एसोसिएशन, लखनऊ-226001

प्रति: